

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-6/डी०-पी०ए०सी०-06/03/2014- 153

222

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक- 15.03.18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए वर्ष 2015-16 में शत प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त योजनावार स्वीकृत एवं विमुक्त राशि में से (1) जागरुकता कार्यक्रम हेतु ₹ 32.00 लाख (2) औषधि पौधों की खेती हेतु ₹ 50.00 लाख (3) कुक्कुट पालन हेतु ₹ 31.30 लाख (4) दुध उत्पादन हेतु ₹ 200.00 लाख अर्थात कुल विमुक्त राशि ₹ 313.30 लाख (तीन करोड़ तेरह लाख तीस हजार)मात्र की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- अनु० जनजाति के लिए भारत व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उपबंधित राशि से मांग सं०-44 के अन्तर्गत आय-व्ययक शीर्ष 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष -02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-102-आर्थिक विकास-उपशीर्ष-0202-अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-पी०ए०एम०एस० कोड-TSP 1-विपत्र कोड-44-2225021020202- विषय शीर्ष 0202.33.01-सब्सिडी मद में कुल ₹ 313.30 लाख (तीन करोड़ तेरह लाख तीस हजार)मात्र विकलनीय होगा।

3- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-106 दिनांक-08.01.16 एवं आवंटनादेश सं०-117 दिनांक- 28.01.16 द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी कर बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना के पी०एल०खाता-PLA-264 में संधारित किया गया था। विभागीय पत्रांक-644 दिनांक-09.03.17 द्वारा मिशन के पी०एल०खाता में संधारित राशि जिलों को विमुक्त की गयी थी। परन्तु मिशन के पत्रांक-1081 दिनांक-14.09.17, पत्रांक-33 दिनांक-08.01.18 एवं पत्रांक-184 दिनांक-05.02.18 द्वारा पी०एल०खाता में संधारित राशि राज्यकोष में ट्रेजरी चालान के माध्यम से ₹ 313.30 लाख जमा किये जाने की सूचना दी गयी है। तदालोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹ 313.30 लाख (तीन करोड़ तेरह लाख तीस हजार) मात्र की स्वीकृति दी जा रही है।

4- इस योजना के लिए निकासी पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे।

5- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि का नियमानुसार व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं में से मंत्रालय के पत्रांक-11015/01/2015-SG-II,दिनांक-30.04.2015 द्वारा स्वीकृत एवं मंत्रालय के पत्रांक-11015/01/2015-SG-II, दिनांक-12.06.2015 द्वारा विमुक्त ₹ 313.30 लाख की स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति दी जा रही है।

7- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।

8- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा। विषयांकित योजना के अन्तर्गत राशि का व्यय किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।


9- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की विषयांकित योजना के आलोक में राशि का व्यय किया जाय, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ली गयी योजनाओं एवं लाभान्वितों का डूप्लीकेशन न हो।

10-स्वीकृति प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ० - 47/टि० पर प्राप्त है।

11-संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

12-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।



(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक -6/डी०-पी०ए०सी०-06/03/2014- 153 पटना, दिनांक- 15.03.18
प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी सिंचाई भवन कोषागार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 6/डी०-पी०ए०सी०-06/03/2014- 153 पटना, दिनांक- 15.03.18

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उपविकास आयुक्त/उप निदेशक(मु०)/ संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक,कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/अवर सचिव/सहायक निदेशक/लेखा शाखा/बजट शाखा/सांख्यिकी कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6(डी०) /8(डी०) अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 6/डी०-पी०ए०सी०-06/03/2014- 153 पटना, दिनांक- 15.03.18
प्रतिलिपि :-अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्रांक-11015/01/2015-SG-II, दिनांक-12.06.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित


सरकार के सचिव।

वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास हेतु अनु० जनजाति उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत राशि की विवरणी।

220

विपत्र कोड-44-2225021020202 - विषय शीर्ष-0202.33.01-सब्सिडी

(राशि रु० में)

क्रमांक	जिला का नाम	2011 जनगणना के अनुसार जिलावार अनु० जनजातियों की जनसंख्या	दुध उत्पादन		कुक्कुट पालन		जागरूकता कार्यक्रम	औषधि पीघों की खेती	योग
			इकाई (Unit)	राशि	इकाई (Unit)	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सारण	36786	5	652000	0	0	83000	0	735000
2	गोपालगंज	60807	8	1043200	1	330000	166000	0	1539200
3	कैमूर	57981	7	912800	0	0	166000	0	1078800
4	जमुई	78793	10	1304000	1	330000	166000	625000	2425000
5	रोहतास	31650	4	521600	0	0	83000	0	604600
6	प० चम्पारण	250046	32	4221600	1	490000	710000	625000	6046600
7	बौका	90432	11	1434400	1	330000	249000	625000	2638400
8	भागलपुर	67180	8	1043200	1	330000	166000	625000	2164200
9	सियान	87000	11	1434400	1	330000	249000	625000	2638400
10	बक्सर	26824	3	391200	0	0	83000	0	474200
11	पूर्णियां	139490	18	2347200	1	330000	332000	625000	3634200
12	कटिहार	179971	23	2999200	1	330000	498000	625000	4452200
13	किशनगंज	64224	8	1043200	1	330000	166000	625000	2164200
14	अररिया	38848	5	652000	0	0	83000	0	735000
	कुल योग	1210032	153	20000000	9	3130000	3200000	5000000	31330000

(तीन करोड तेरह लाख तीस हजार रुपये मात्र)

सरकार के सचिव

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
कल्याण विभाग

ज्ञापांक-153 दिनांक 15.03.18 का अनुलग्नक